05/04/2024

शामिल विषय (TOPICS COVERED)

1. **सरकार जन्म पंजीकरण के लिए माता-पिता का धर्म दर्ज करेगी (GS PAPER I: मानव संसाधन)**
2. **भारतीय न्याय संहिता (GS PAPER II: कानूनी प्रणाली या न्यायपालिका) के इन खंडों पर दोबारा गौर करें**
3. **ओवरकिल: वीवीपैट की केवल 100% पुनर्गणना पर (GS PAPER II: चुनावी प्रणाली)**
4. **वाइड ओपन: टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट पर (सामान्य जानकारी: राज्य पीसीएस)**
5. **विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्वायत्तता के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए (GS PAPER II: शिक्षा)**
6. **क्या शहरी जल व्यवस्था चरमरा रही है? (GS PAPER I: जल संसाधन, GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)**

सरकार जन्म पंजीकरण के लिए माता-पिता का धर्म दर्ज करेगी (GS PAPER I: मानव संसाधन)

वर्तमान प्रथा केवल बच्चे के परिवार का धर्म दर्ज करने की है; डेटाबेस का उपयोग एनपीआर, मतदाता सूची, आधार, राशन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस को अपडेट करने के लिए किया जा सकता है; राज्यों ने अभी तक नए नियम अधिसूचित नहीं किए हैं

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल नियमों का मसौदा तैयार किया है, जिसमें बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराते समय माता-पिता को अपना धर्म और माता-पिता दोनों का धर्म दर्ज करना होगा।
- **पहले, जन्म रजिस्टर में केवल परिवार का धर्म दर्ज किया जाता था।**
- प्रस्तावित परिवर्तन बच्चे, पिता और माता के धर्म के लिए अलग-अलग प्रविष्टियाँ शामिल करने के लिए जन्म रिपोर्ट फॉर्म का विस्तार करेंगे।
- **गोद लिए गए बच्चों के माता-पिता** पर भी लागू होंगे ।
- **पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023, राष्ट्रीय जन्म और मृत्यु डेटाबेस के रखरखाव को अनिवार्य करता है।**
- **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और संपत्ति पंजीकरण** जैसे विभिन्न आधिकारिक रिकॉर्ड को अद्यतन करने के लिए किया जा सकता है।

डिजिटल रिकॉर्ड

- पिछले साल 1 अक्टूबर से प्रभावी एक कानून भारत में सभी रिपोर्ट किए गए जन्म और मृत्यु के डिजिटल पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है।

PatriotiCIAS

- यह पंजीकरण प्रक्रिया केंद्र के **नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल (crsorgi.gov.in) के माध्यम से आयोजित की जाती है।**
- **जारी किए गए डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र** शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए एकल दस्तावेज़ के रूप में कार्य करते हैं।
- **गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई)** ने मसौदे के अनुसार जन्म, मृत्यु, मृत जन्म, गोद लेने और मृत्यु के कारण के चिकित्सा प्रमाण पत्र (एमसीसीडी) के पंजीकरण से संबंधित मौजूदा फॉर्म को बदलने का प्रस्ताव दिया है। नियम।
- अद्यतन **एमसीसीडी में अब मृत्यु के वास्तविक कारण के अलावा "बीमारी का इतिहास, यदि कोई हो" भी शामिल होगा।**

सांख्यिकीय और कानूनी जानकारी

- जन्म रजिस्टर में अब दो भाग शामिल हैं: कानूनी जानकारी और सांख्यिकीय जानकारी।
- **माता-पिता का धर्म केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए दर्ज किया जाएगा।**
- **कानूनी सूचना अनुभाग में अब यदि उपलब्ध हो तो माता-पिता दोनों के आधार नंबर, मोबाइल और ई-मेल आईडी की रिकॉर्डिंग शामिल है।**
- **कानूनी जानकारी अनुभाग में पता बॉक्स अधिक विस्तृत है** , जिसमें राज्य, जिला, उप-जिला, शहर या गांव, वार्ड संख्या (यदि लागू हो), इलाका, घर का नंबर और पिन कोड शामिल है।
- जानकारी प्रदान करने वाले मुखबिर को अपना आधार और मोबाइल नंबर, ईमेल पता, साथ ही नाम और पता विवरण प्रदान करना होगा जैसा कि पहले आवश्यक था।

राष्ट्रीय डेटाबेस

- 2023 का संशोधन भारत के रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाए रखने का आदेश देता है।
- **राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार को** पंजीकृत जन्म और मृत्यु का डेटा इस राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ साझा करना होगा।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 द्वारा सशक्त आरजीआई, मुख्य रजिस्ट्रारों की गतिविधियों का समन्वय और एकीकरण करता है।
- **जन्म और मृत्यु के पंजीकरण के लिए पंचायत स्तर तक नागरिक पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है।**
- सीआरएस डेटा का उपयोग वार्षिक ' नागरिक पंजीकरण प्रणाली पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण सांख्यिकी ' रिपोर्ट को संकलित करने के लिए किया जाता है, जिसमें जन्म के समय लिंग अनुपात, शिशु मृत्यु दर, मृत जन्म और राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु की जानकारी शामिल होती है।
- यह डेटा सामाजिक-आर्थिक नियोजन, सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का आधार बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

अध्ययन में कहा गया है कि भारत में कैंसर के निदान की औसत आयु कम है

Patriotic IAS

अपोलो अस्पताल द्वारा गैर-संचारी रोगों पर रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि जांच किए गए तीन लोगों में से एक को प्री-डायबिटीज था, चार में से एक व्यक्ति को मधुमेह था, 10 में से एक को अनियंत्रित मधुमेह था

- अपोलो हॉस्पिटल्स ने अपने डेटा के आधार पर गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के रुझानों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी की।
- रिपोर्ट से पता चला कि **भारत में कैंसर के निदान की औसत आयु अमेरिका, ब्रिटेन और चीन की तुलना में कम है** ।
- भारत में, **स्तन कैंसर के निदान की औसत आयु 52 वर्ष है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में यह 63 वर्ष है। फेफड़ों के कैंसर के लिए, निदान की औसत आयु भारत में 59 वर्ष है, जबकि पश्चिम में लगभग 70 वर्ष है** ।
- रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि युवा लोगों में कोलन कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई है, अपोलो अस्पताल में कोलन कैंसर के 30% रोगियों की उम्र 50 वर्ष से कम है।
- **युवा आबादी में कैंसर का बोझ अधिक होने के बावजूद, भारत कैंसर जांच में पीछे है।**
- **जहां अमेरिका में स्तन कैंसर की जांच दर 74%-82% है, वहीं भारत में केवल 1.9% लोगों की जांच की जाती है।**
- रिपोर्ट में पश्चिमी डेटा को भारत में प्रसारित करने के बारे में चिंता जताई गई है और भारतीय पुरुषों के बीच प्रोस्टेट-विशिष्ट एंटीजन (पीएसए) रक्त परीक्षणों की सीमा में अंतर का हवाला देते हुए स्थानीय डेटा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- रिपोर्ट में मानसिक स्वास्थ्य और मधुमेह, उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी चयापचय संबंधी बीमारियों पर चर्चा की गई।
- इससे पता चला कि अपोलो अस्पताल में स्वास्थ्य जांच कराने वाले चार में से तीन लोग या तो मोटे थे या अधिक वजन वाले थे।
- **मोटापे की घटना 2016 में 9% से बढ़कर 2023 में 20% हो गई** ।
- आहार, व्यायाम और वजन घटाने के महत्व पर जोर देते हुए, तीन में से एक व्यक्ति को प्री-डायबिटीज थी।
- लगभग चार में से एक व्यक्ति को मधुमेह था, और दस में से एक को अनियंत्रित मधुमेह था।
- नींद संबंधी विकारों, विशेष रूप से ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया को एक चिंता के रूप में उजागर किया गया, जिससे नींद की गुणवत्ता की जांच करने वाले चार में से एक व्यक्ति प्रभावित हुआ।
- जैसा कि अपोलो अस्पताल के अध्यक्ष प्रताप सी. रेड्डी ने उल्लेख किया है, **एनसीडी ने 70% मौतों में योगदान दिया।**
- उपाध्यक्ष प्रीता रेड्डी ने महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के महत्व पर जोर दिया।
- अपोलो हॉस्पिटल्स ने विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के हिस्से के रूप में एक डिजिटल स्वास्थ्य जोखिम मूल्यांकन उपकरण "प्रोहेल्थ स्कोर" लॉन्च किया।
- यह टूल पारिवारिक इतिहास, जीवनशैली और वर्तमान लक्षणों जैसे कारकों के आधार पर किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण का मूल्यांकन करता है।
- कार्यक्रम को अपोलो हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर अनुपम सिब्बल ने भी संबोधित किया।

PatriotICAS

सनोफी को वैकल्पिक निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन के लिए मंजूरी मिल गई है

कंपनी का कहना है कि उसकी तरफ से पोलियो वैक्सीन की कोई कमी नहीं है

- सनोफी इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में **अपने निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन (आईपीवी) को बंद कर दिया है।** भारत में इसे ShanIPV कहा जाता है ।
- कंपनी ने पुष्टि की कि आईपीवी वैक्सीन की उपलब्धता में कोई रुकावट नहीं आएगी।
- उन्होंने IMOVAX-पोलियो नामक अपने वैकल्पिक आईपीवी वैक्सीन के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, जिसका उपयोग 40 से अधिक वर्षों से 100 से अधिक देशों में किया जा रहा है।
- IMOVAX-पोलियो की संरचना और सूत्रीकरण ShanIPV के समान ही है ।

भारतीय न्याय संहिता (GS PAPER II: कानूनी प्रणाली या न्यायपालिका) के इन खंडों पर दोबारा गौर करें

घातक दुर्घटना, छोटे संगठित अपराध, चोरी और मानव तस्करी की रिपोर्टिंग संबंधी धाराओं में खामियां हैं

- नए आपराधिक कानून 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी।
- **बीएनएस की धारा 106(2) , जिसमें घातक दुर्घटनाओं की रिपोर्ट न करने पर 10 साल की कैद शामिल है** , फिलहाल रोक दी गई है।
- गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ट्रक ड्राइवरों के विरोध के कारण कार्यान्वयन रोक दिया।
- धारा 106(2) पर निर्णय लेने से पहले गृह मंत्रालय ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से परामर्श करेगा।
- समीक्षाधीन अन्य बीएनएस प्रावधान:
  - "छोटा संगठित अपराध" (धारा 112)।
  - "चोरी" (धारा 303(2)).
  - मानव तस्करी (धारा 143)।

एक घातक दुर्घटना, छोटे अपराध की रिपोर्टिंग

- धारा 106(2) पर पुनर्विचार:
  - **दुर्घटना की सूचना दिए बिना भागने पर कारावास की सजा को 5 से बढ़ाकर 10 वर्ष करना** अनुचित लगता है।
  - कोई अन्य कानून इस अपराध के लिए इतनी कड़ी सज़ा नहीं देता।
  - **घायल पीड़ितों की सहायता को प्राथमिकता नहीं देता; केवल मृत्यु का कारण बनने वाली दुर्घटनाओं पर लागू होता है।**
  - संभावित लाभ: यदि वाहन का विवरण ज्ञात हो तो मोटर दुर्घटना दावों में मदद मिलती है।

PathfinderIAS

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के साथ टकराव हो सकता है, जो आत्म-दोषारोपण से बचाता है।**

अनुच्छेद 20:

1. **कोई पूर्वव्यापी कानून नहीं: इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जिसे किए जाने पर अपराध नहीं माना गया था। दूसरे शब्दों में, आपको ऐसा कुछ करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता जो उस समय अवैध नहीं था। साथ ही, किसी अपराध के लिए सज़ा अपराध होने पर कानून द्वारा दी गई सज़ा से अधिक कठोर नहीं हो सकती।**
2. **दोहरे ख़तरे से सुरक्षा: यह सिद्धांत कहता है कि किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और दंडित नहीं किया जा सकता। एक बार जब आप पर मुकदमा चलाया गया और किसी अपराध के लिए आपको बरी कर दिया गया या दोषी ठहराया गया, तो आप पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, भले ही नए सबूत सामने आ जाएं।**
3. **आत्म-दोषारोपण के विरुद्ध अधिकार: इसका मतलब है कि किसी को भी अदालत में अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। आपको चुप रहने और ऐसा कुछ भी नहीं कहने का अधिकार है जिसका इस्तेमाल अदालत में आपके खिलाफ किया जा सकता है।**

ये सुरक्षा कानूनी प्रणाली में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय हैं। वे मनमानी सज़ा को रोकते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों के साथ कानून के तहत उचित व्यवहार किया जाए और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार को बरकरार रखा जाए।

- **नंदिनी सत्पथी बनाम पीएल दानी मामले** में सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या सुझाव देता है कि मजबूर गवाही न केवल शारीरिक धमकियों या हिंसा से बल्कि मानसिक यातना, दबंग और डराने-धमकाने वाले तरीकों और इसी तरह से हासिल किए गए सबूतों से परे है।
- **छोटे संगठित अपराध** " का परिचय :
  - **बीएनएस की धारा 112** में नया अपराध ।
  - इसमें एक समूह या गिरोह के हिस्से के रूप में विभिन्न अपराध करना शामिल है।
  - अपराधों में चोरी, स्नैचिंग, धोखाधड़ी, टिकटों की अनधिकृत बिक्री, जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्र बेचना या इसी तरह के कार्य शामिल हैं।
  - इसका उद्देश्य समूह गतिविधियों को शामिल करने के लिए कानूनी कवरेज का विस्तार करके संगठित अपराध को संबोधित करना है।
- जैसे अपराध **बीएनएस में परिभाषित नहीं हैं और किसी विशेष अधिनियम से जुड़े नहीं हैं।**
- वाक्यांश **'कोई अन्य समान आपराधिक कृत्य' अस्पष्ट और खुला है** , जिससे व्याख्या अनिश्चित हो गई है ।
- चोरी और स्नैचिंग के लिए तीन साल तक की कैद हो सकती है (बीएनएस की धारा 303), जबकि किसी घर या परिवहन के साधन में चोरी के लिए सात साल तक की सजा हो सकती है (बीएनएस की धारा 305)।
- नुकसान पहुंचाने की तैयारी के बाद चोरी करने पर 10 साल तक की कैद हो सकती है (बीएनएस की धारा 307)।
- धोखाधड़ी के लिए तीन से सात साल तक की कैद हो सकती है (बीएनएस की धारा 318)।
- **'किसी भी अन्य समान आपराधिक कृत्यों' की सीमा अनिर्दिष्ट है, जिसमें संभावित रूप से आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का दुरुपयोग, या चोरी की संपत्ति प्राप्त करना जैसे अपराध शामिल हैं।**
- **हालाँकि, इन अपराधों के लिए सज़ा दो से 10 साल तक होती है, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि 'छोटे संगठित अपराध' के अंतर्गत क्या आता है, जिसमें अधिकतम सात साल की सज़ा है।**

PatriotIAS

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ए** के समान, सुप्रीम कोर्ट की जांच का सामना नहीं कर सकता है, जिसे सुप्रीम **कोर्ट ने रद्द कर दिया था। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ (2015) में पाया गया कि अनुभाग में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "अत्यधिक आक्रामक " खुली , अपरिभाषित और अस्पष्ट है।**

संपत्ति की चोरी, एक विशिष्ट मूल्य

- चोरी का अपराध, जैसा कि **बीएनएस की धारा 303 की उप-धारा (2) के प्रावधान में बताया गया है** , पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- प्रावधान के अनुसार, यदि चोरी की गई संपत्ति का मूल्य पांच हजार रुपये से कम है और यह व्यक्ति की पहली सजा है, तो चोरी की संपत्ति वापस करने या बहाल करने पर उन्हें सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की पहली अनुसूची में गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की पहली अनुसूची इस श्रेणी के तहत अपराध को गैर-संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत करती है ।
- ₹5,000 से कम मूल्य की संपत्ति की चोरी को गैर-संज्ञेय अपराध बनाने से पुलिस का कार्यभार कम हो सकता है लेकिन इससे कानूनी और व्यावहारिक चिंताएँ पैदा होती हैं।
- हालाँकि ₹5,000 का अमीर व्यक्तियों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन कम आय वालों के लिए यह महत्वपूर्ण है; चोरी हुई साइकिल हो सकती है बड़ा नुकसान
- उदाहरण के लिए, किसी छात्र की चोरी हुई साइकिल अज्ञात होने पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती, जिससे वे असहाय महसूस करेंगे।
- शिक्षा का समर्थन करने के लिए सरकारों द्वारा अक्सर छात्रों को साइकिलें प्रदान की जाती हैं, जिससे ऐसी चोरी प्रभावशाली हो जाती है।
- ₹5,000 से कम के संपत्ति अपराधों को दर्ज न करने से अपराधियों को पुलिस निगरानी से तब तक हटाया जा सकता है जब तक वे कोई दूसरा अपराध नहीं करते।
- यदि चोरी की गई संपत्ति को अन्य चोरी के सामान के साथ बरामद किया जाता है तो उसे वापस करने के संबंध में कानूनी मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं।
- यदि ₹5,000 से कम की चुराई गई संपत्ति दोषी द्वारा वापस नहीं की जाती है, तो अदालत के पास तीन साल तक की कैद ही एकमात्र विकल्प हो सकता है।
- यह उच्च-मूल्य की चोरी के विपरीत है, जिसे संज्ञेय अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जहां वैकल्पिक दंड संभव है।
- परिभाषाओं में बदलाव और वैकल्पिक दंड प्रदान करने से कानून स्पष्ट हो सकता है और व्यावहारिक और कानूनी चिंताओं का समाधान हो सकता है।
- किसी भी मूल्य की संपत्ति की चोरी को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए बीएनएसएस की पहली अनुसूची में मामूली बदलाव की आवश्यकता होगी और विभिन्न मुद्दों का समाधान करना होगा।

न्यायपालिका के पास कोई विवेकाधिकार नहीं

"न्यायपालिका के विवेकाधिकार "

PatriotIAS

- जब कोई कानून न्यायपालिका को विवेकाधिकार प्रदान करता है, तो इसका मतलब है कि न्यायाधीशों के पास विभिन्न कारकों पर विचार करने और उचित सजा या कार्रवाई का तरीका निर्धारित करने की लचीलापन है जो किसी मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित और उचित है।
- **मिठू बनाम पंजाब राज्य (1983) मामले** में आजीवन कारावास की सजा के संबंध में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 303 को शून्य और असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था।

- **धारा 303** भारतीय दंड संहिता में "किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हत्या" के लिए सज़ा का प्रावधान है जो पहले से ही पिछले अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा था।
- यदि कोई व्यक्ति जो पहले से ही आजीवन कारावास में था, अपनी सज़ा काटते समय हत्या कर देता है, तो धारा 303 इस प्रावधान के तहत दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्युदंड अनिवार्य करती है।
- यदि आजीवन कारावास की सजा काट रहा कोई व्यक्ति हत्या करता है, तो उसे स्वचालित रूप से मौत की सजा दी जाएगी।

- **सर्वोच्च न्यायालय ने इसे असंवैधानिक करार दिया क्योंकि इसने न्यायिक विवेक की अनुमति नहीं दी, जिससे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हुआ, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।**
- आईपीसी की धारा 303 को बीएनएस की धारा 104 के रूप में फिर से पेश किया गया है, अब या तो मौत की सजा या आजीवन कारावास (अर्थात् किसी के प्राकृतिक जीवन का शेष) का प्रावधान है।
- हालाँकि, **बीएनएस की धारा 143 की उप-धारा (6) और (7)** , कई अवसरों पर बाल तस्करी और लोक सेवकों या पुलिस अधिकारियों द्वारा तस्करी को दंडित करने में भी न्यायिक विवेक का अभाव है, संभावित रूप से समान वैधता के मुद्दों का सामना करना पड़ता है।
- बीएनएस के इन अनुभागों, जिनमें धारा 106 की उप-धारा (2), धारा 112, धारा 303 की उप-धारा (2) और धारा 143 की उप-धारा (6) और (7) शामिल हैं, को पहले दोबारा देखने की जरूरत है। उनके कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक निहितार्थों के कारण लागू किया जा रहा है।

मुख्य अभ्यास प्रश्न: GS PAPER II: कानूनी प्रणाली/न्यायिक प्रणाली

प्रश्न: भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 303 और बीएनएस की धारा 104 के रूप में इसके पुनर्जन्म के आसपास के ऐतिहासिक संदर्भ और कानूनी विकास के संदर्भ में, आपराधिक सजा में न्यायिक विवेक के महत्व पर चर्चा करें। बीएनएस के कुछ प्रावधानों, जैसे धारा 143 की उप-धारा (6) और (7) में न्यायिक विवेक की अनुपस्थिति के निहितार्थ का आकलन करें। (150 शब्द/10 अंक)

उत्तर दृष्टिकोण

- न्यायिक विवेक की संक्षिप्त व्याख्या के साथ उत्तर प्रस्तुत करें
- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में ऐतिहासिक संदर्भ और हालिया उदाहरण लाएं ,
- आगे न्यायिक विवेक के अभाव के कारण कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक प्रभावों पर चर्चा करें।
- एक सुझावात्मक टिप्पणी के साथ समापन करें।

उत्तर

न्यायिक विवेक न्यायाधीशों को अपराध और अपराधी के लिए उचित सजा निर्धारित करने के लिए मामले के विभिन्न कारकों और परिस्थितियों पर विचार करने की अनुमति देता है। न्याय प्रशासन में निष्पक्षता, समानता और आनुपातिकता सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक सजा में न्यायिक विवेक का महत्व सर्वोपरि है। हालाँकि, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के कुछ प्रावधानों, जैसे धारा 143 के (6) और (7) में न्यायिक विवेक की अनुपस्थिति, संवैधानिक अधिकारों के संभावित उल्लंघन और अनुपातहीन सजा के जोखिम के बारे में चिंता पैदा करती है।

PatriotICAS

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में ऐतिहासिक संदर्भ और हालिया उदाहरण

- भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 303 में न्यायपालिका को किसी भी विवेकाधिकार की अनुमति दिए बिना, जीवन-दोषी द्वारा की गई हत्या के लिए मौत की सजा अनिवार्य है।
- इस प्रावधान को मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य (1983) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता था, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है।
- न्यायालय ने माना कि सजा देने में न्यायिक विवेक से इनकार करना एक मनमाना और अनुपातहीन दंड है, जो निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
- हालाँकि, धारा 303 को बीएनएस की धारा 104 के रूप में पुनर्जन्म दिया गया है, जिसमें उसी अपराध के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। हालाँकि यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई संवैधानिक चिंताओं को संबोधित करता है, धारा 143 की उपधारा (6) और (7) सहित बीएनएस के कुछ प्रावधानों में अभी भी न्यायिक विवेक का अभाव है।
- धारा 143 की उपधारा (6) कई अवसरों पर बाल तस्करी के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करती है, जबकि उपधारा (7) लोक सेवकों या पुलिस अधिकारियों द्वारा तस्करी के लिए समान सजा निर्धारित करती है।
- ये प्रावधान न्यायाधीशों को सजा सुनाने से पहले मामले के शमन करने वाले कारकों या व्यक्तिगत परिस्थितियों पर विचार करने की छूट प्रदान नहीं करते हैं।
- परिणामस्वरूप, असंगत सज़ा और निष्पक्षता और आनुपातिकता के सिद्धांतों के उल्लंघन का जोखिम है।

कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक निहितार्थ

- बीएनएस के इन प्रावधानों में न्यायिक विवेक की अनुपस्थिति कानूनी, संवैधानिक और व्यावहारिक निहितार्थ उठाती है। सबसे पहले, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के मौलिक अधिकार को कमजोर करता है।
- दूसरे, इससे मनमानी और अनुपातहीन सजा की संभावना बढ़ जाती है, जो न्याय और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है।
- तीसरा, यह प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुरूप सजा देने की न्यायाधीशों की क्षमता को सीमित करता है, जिससे संभावित रूप से न्याय में बाधा उत्पन्न होती है।

इस प्रकार, आपराधिक सजा में न्यायिक विवेक के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जबकि बीएनएस की धारा 104 के रूप में धारा 303 का पुनर्जन्म कुछ संवैधानिक चिंताओं को संबोधित करता है, अन्य प्रावधानों में न्यायिक विवेक की अनुपस्थिति न्याय प्रशासन में निष्पक्षता, समानता और आनुपातिकता के सिद्धांतों को कमजोर करती है। इसलिए, इन प्रावधानों पर फिर से विचार करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि वे आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल सभी व्यक्तियों के लिए संवैधानिक अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को बरकरार रखें।

ओवरकिल: वीवीपैट की केवल 100% पुनर्गणना पर (GS PAPER II: चुनावी प्रणाली)

वीवीपैट पर्चियों के सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नमूने का सत्यापन पर्याप्त होना चाहिए

वीवीपैट

- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामला 2013 द्वारा प्रस्तुत।

PatrioticIAS

- **यह काम किस प्रकार करता है:** मतदाता द्वारा ईवीएम का उपयोग करके अपना वोट डालने के बाद, वीवीपैट मशीन के माध्यम से चयनित उम्मीदवार के नाम, प्रतीक और सीरियल नंबर वाली एक पेपर पर्ची मुद्रित की जाती है। मतदाता इस पेपर स्लिप को देखकर सत्यापित कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका वोट सटीक रूप से दर्ज किया गया है। बाद में आवश्यकता पड़ने पर ऑडिट या पुनर्गणना में उपयोग के लिए पेपर स्लिप को एक सीलबंद वीवीपैट बॉक्स में जमा कर दिया जाता है।
- **सत्यापन प्रक्रिया:** वीवीपैट मशीन पर एक पारदर्शी विंडो के माध्यम से मुद्रित पेपर स्लिप को सत्यापित करने के लिए मतदाताओं को एक संक्षिप्त विंडो (आमतौर पर लगभग **7 सेकंड) दी जाती है।** एक बार सत्यापन अवधि समाप्त होने के बाद, पेपर स्लिप स्वचालित रूप से कट जाती है और वीवीपैट बॉक्स में डाल दी जाती है।

- ईवीएम के साथ वीवीपीएटी की शुरूआत ने भारतीय चुनावों में ईवीएम के उपयोग के बारे में चिंताओं को पूरी तरह से संबोधित नहीं किया है।
- आलोचक अधिक पारदर्शिता के लिए, संभावित रूप से मौजूदा मशीनों को अपग्रेड करने के लिए सभी निष्पादित कमांडों का मशीन ऑडिट ट्रेल बनाए रखने का सुझाव देते हैं।
- दूसरों का तर्क है कि वीवीपैट ने नई कमजोरियां पेश की हैं जो स्टैंडअलोन ईवीएम में मौजूद नहीं हैं, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों पर फिर से काम करने का सुझाव दिया गया है।
- कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों सहित कुछ लोग वर्तमान नमूनाकरण विधियों के बजाय पूर्ण पारदर्शिता के लिए सभी वीवीपैट की 100% पुनर्गणना की मांग करते हैं।
- **कदाचार और ईवीएम हैकिंग के बारे में चिंताओं के बावजूद, ईवीएम के साथ कोई वास्तविक छेड़छाड़ साबित नहीं हुई है।**
- **ईवीएम में गड़बड़ियां हुई हैं लेकिन उन्हें तुरंत ठीक कर लिया गया है, हैकिंग या हेरफेर का कोई सबूत नहीं है।**
- चुनावों के दौरान वीवीपैट की नमूना गिनती में वीवीपैट की दोबारा गिनती और ईवीएम की गिनती के बीच न्यूनतम बेमेल दिखाया गया है, जो आमतौर पर छोटी त्रुटियों के कारण होता है।
- **पुनर्गणना नमूना आकार बढ़ाने या विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने से सांख्यिकीय महत्व में सुधार हो सकता है।**
- पूर्ण पुनर्मतगणना पर जोर देना अत्यधिक लगता है और यह ईवीएम प्रणाली में विश्वास की कमी को दर्शाता है।

वाइड ओपन: टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट पर (सामान्य जानकारी: राज्य पीसीएस)

कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के पास एक मजबूत दल है

- टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट शुरू हो गया है, जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
- इस टूर्नामेंट के विजेता, ओपन और महिला दोनों वर्गों में, विश्व चैम्पियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे।
- **वर्तमान विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन और जू वेनजुन हैं।**

PatrioticIAS

- यह टूर्नामेंट विश्व खिताब के लिए चुनौती देने वालों का निर्धारण करेगा।
- **भारत की विशेष रुचि है क्योंकि 16 प्रतियोगियों में से पांच भारतीय खिलाड़ी हैं।**
- आर. प्रग्गनानंद , डी. गुकेश और विदित गुजराती ओपन टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

- **कोनेरू हम्पी और आर. वैशाली महिला टूर्नामेंट** में भाग ले रही हैं .

- इससे पहले केवल विश्वनाथन आनंद ही पांच बार के विश्व चैंपियन रहकर इस प्रतिष्ठित आयोजन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।
- भारत की महत्वपूर्ण उपस्थिति वैश्विक शतरंज में उसकी बढ़ती ताकत को दर्शाती है।

विशेष रूप से, **अर्जुन एरिगैसी , भारत के सर्वोच्च रैंक वाले खिलाड़ी (नंबर 9),** कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भाग नहीं ले रहा है।

- **फैबियानो कारूआना और हिकारू** नाकामुरा को कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के ओपन इवेंट में सबसे मजबूत खिलाड़ी माना जाता है।

- मौजूदा विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने प्रेरणा की कमी के कारण विश्व चैम्पियनशिप चक्र से बाहर होने का विकल्प चुना है।

- रूसी खिलाड़ी इयान नेपोम्नियाचची, जिन्होंने टूर्नामेंट के पिछले दो संस्करण जीते हैं, एक अन्य प्रमुख दावेदार हैं।

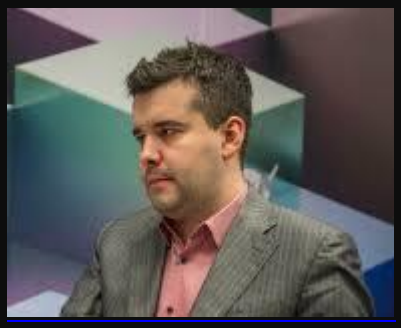

- ईरानी मूल के फ्रांसीसी खिलाड़ी अलीरेज़ा फ़िरोज़ा भारतीय प्रतिभागियों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं।

- आर. प्रागनानंद और डी. गुकेश, दोनों किशोर, अपने पहले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और मजबूत विरोधियों को आश्चर्यचकित करने की क्षमता रखते हैं।
- पूर्व विश्व रैपिड चैंपियन कोनेरू हम्पी टूर्नामेंट में सबसे अनुभवी भारतीय खिलाड़ी हैं और महिला वर्ग में मुख्य दावेदार हैं।
- प्रागनानंद की बड़ी बहन आर. वैशाली विश्व स्तर पर सबसे तेजी से सुधार करने वाली महिला खिलाड़ियों में से एक हैं।
- महिलाओं का टूर्नामेंट, जिसमें पूर्व विश्व चैंपियन चीन की तान झोंग्यी शामिल हैं , पुरुषों के मुकाबले अधिक खुला प्रतीत होता है।

विश्वविद्यालयों को कॉलेज स्वायत्तता के मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहिए (GS PAPER II: शिक्षा)

विश्वविद्यालयों को कॉलेजों की चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है क्योंकि स्वायत्तता का उच्च शिक्षा पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है

- राष्ट्रीय **शिक्षा नीति 2020** इसका उद्देश्य नवाचार, स्वशासन और शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हुए कॉलेजों को स्वायत्त संस्थानों में बदलना है।
- अप्रैल 2023 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए नए नियम पेश किए।
- स्वायत्त दर्जा चाहने वाले कॉलेजों की प्रतिक्रिया उल्लेखनीय रही है, लॉन्च के बाद से 590 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

PatriotICIAS

- **नवाचार को बढ़ावा देने, शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार और संस्थागत उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कॉलेजों को स्वायत्तता प्रदान करना महत्वपूर्ण है।**
- स्वायत्त कॉलेज छात्रों और उद्योगों की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पाठ्यक्रम को अनुकूलित कर सकते हैं।
- वे नई शिक्षण विधियों और अनुसंधान पहलों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और सामाजिक प्रगति में योगदान दे सकते हैं।
- **स्वायत्तता कॉलेजों के बीच जवाबदेही और जिम्मेदारी को बढ़ावा देती है, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक और प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार मिलता है।**
- यह सशक्तिकरण **संस्थागत दक्षता को बढ़ाता है और कॉलेजों के भीतर गर्व और पहचान की भावना को बढ़ावा देता है, संकाय और कर्मचारियों को उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है।**

रैंकिंग एक बात साबित करती है

- एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग भारत में कॉलेज के प्रदर्शन पर स्वायत्तता के सकारात्मक प्रभाव को उजागर करती है।
- में , **शीर्ष 100 कॉलेजों में से 55 स्वायत्त संस्थान हैं,** शैक्षणिक उत्कृष्टता और संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ावा देने में स्वायत्तता की प्रभावशीलता का संकेत।
- **एनआईआरएफ 2023 रैंकिंग में शीर्ष 10 कॉलेजों में से पांच स्वायत्त कॉलेज हैं,** जो अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने में स्वायत्तता की सफलता का प्रदर्शन करते हैं।
- उच्च शिक्षा में स्वायत्त महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में रुझान बढ़ रहा है, जल्द ही **24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह संख्या 1,000 तक पहुंचने की उम्मीद है।**
- आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे राज्यों में स्वायत्त कॉलेजों की संख्या अधिक है, जिनकी **कुल संख्या 80% से अधिक है।**
- यहां तक कि छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे कम स्वायत्त संस्थानों वाले राज्यों में भी, संस्थागत प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए स्वायत्तता की क्षमता तलाशने में राष्ट्रव्यापी रुचि है।
- विभिन्न क्षेत्रों में स्वायत्त कॉलेजों की उपस्थिति भारत में उच्च शिक्षा पर स्वायत्तता के परिवर्तनकारी प्रभाव के बढ़ते एहसास को रेखांकित करती है।

स्वायत्तता के बाद की कई चुनौतियों का समाधान करें

- जबकि यूजीसी कॉलेजों के लिए स्वायत्तता को बढ़ावा देता है, कुछ विश्वविद्यालय नियंत्रण छोड़ने का विरोध करते हैं।
- **विश्वविद्यालय अक्सर स्वायत्तता पर सीमाएँ लगाते हैं, जैसे पाठ्यक्रम में बदलाव की सीमा, कॉलेजों की नवाचार करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न करती है।**
- कॉलेजों को स्वायत्तता को मान्यता देने में विश्वविद्यालयों की ओर से देरी का सामना करना पड़ता है, जिससे दक्षता में बाधा आती है और स्वायत्तता की भावना कमजोर होती है।
- **विश्वविद्यालय कॉलेजों को पूर्ण स्वायत्तता देने में संकोच करते हैं, विशेषकर पाठ्यक्रम डिजाइन और नए पाठ्यक्रम शुरू करने में।**
- यह अनिच्छा विश्वविद्यालयों के भीतर पारंपरिक पदानुक्रमित शासन से उत्पन्न हो सकती है ।

Patriots IAS

- **कॉलेजों को संबद्धता के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा लगाई गई मनमानी फीस का सामना करना पड़ सकता है** , जिससे स्वायत्तता कम होगी और पारदर्शिता संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं।
- उच्च शिक्षा के लिए राज्य परिषदों को स्वायत्तता पर यूजीसी नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए।
- विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा सुधार के तहत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए स्वायत्त कॉलेजों की चिंताओं का समाधान करना चाहिए।
- **नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों और स्वायत्त कॉलेजों के बीच सहयोग आवश्यक है।**
- स्वायत्तता के विकास के लिए अनुकूल वातावरण उच्च शिक्षा में नवाचार, उत्कृष्टता और समावेशिता को बढ़ावा देगा।
- स्वायत्तता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चुनौतियों पर काबू पाने और एक जीवंत उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के सहयोग की आवश्यकता है।

क्या शहरी जल व्यवस्था चरमरा रही है? (GS PAPER I: जल संसाधन, GS PAPER III: आपदा प्रबंधन)

- अपनी हरियाली, आईटी हब का दर्जा और सुखद जलवायु के लिए मशहूर बेंगलुरु 2023 में गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है।
- 2023 के सूखे ने बेंगलुरु में पानी की कमी को बढ़ा दिया है, जिसका असर अन्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पड़ा है।
- **केंद्रीय जल आयोग के साप्ताहिक बुलेटिन** के अनुसार , चरम गर्मी आने के बावजूद, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे दक्षिणी राज्यों में प्रमुख जलाशय केवल 25% या उससे कम क्षमता तक भरे हुए हैं।
- जल संकट शहरी जल प्रणाली की स्थिरता और संभावित खराबी के बारे में चिंता पैदा करता है।
- **टीवी रामचन्द्र और एस. विश्वनाथ** केसी दीपिका द्वारा संचालित बातचीत में इस मुद्दे पर चर्चा करें।
- उनकी बातचीत के अंश बेंगलुरु और अन्य क्षेत्रों में जल संकट की चुनौतियों और निहितार्थों पर प्रकाश डालते हैं।

यह पहली बार नहीं है कि भारत का कोई बड़ा शहर जल संकट की चपेट में आया है। यह हमारे शहरों में पानी के बुनियादी ढांचे के बारे में क्या कहता है?

- **टीवी रामचन्द्र:** शहरों में जल संकट **अक्सर जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है** देश भर में।
- बेंगलुरु में पानी की समस्या **अनियोजित शहरीकरण और शहर के परिदृश्य में भारी बदलाव के कारण उत्पन्न हुई है** अधिक समय तक।
- **1800 में, बेंगलुरु में 740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1,452 परस्पर जुड़े जल निकाय और 80% हरित आवरण था।**
- आज, **शहर का 86% हिस्सा पक्की सतहों से ढका हुआ है** , और हरित आवरण घटकर **3% से भी कम रह गया है।**
- बेंगलुरु की 40% से अधिक पानी की ज़रूरतें भूजल स्रोतों से पूरी होती हैं, जिसे आदर्श रूप से छिद्रपूर्ण शहरी परिदृश्यों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिए।

PatriotIAS

- शहर **अपनी जल आपूर्ति के लगभग 55-60% के लिए कावेरी नदी पर निर्भर है** , लेकिन **पिछले चार दशकों में कावेरी जलक्षेत्र में 45% वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है।**
- वर्तमान में, **कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में केवल 18% वन क्षेत्र है, जिसमें से 75% कृषि के लिए समर्पित है।**
- **जलवायु परिवर्तन** इन चुनौतियों को और बढ़ा देता है, जिससे बेंगलुरु और उसके बाहर जल संसाधनों और उपलब्धता पर और असर पड़ता है।
- **एस विश्वनाथ:** 20वीं सदी में, जल प्रावधान संस्थानों को जल आपूर्ति बोर्ड के रूप में डिजाइन किया गया था।
- **पाइप जल, वर्षा जल, भूजल, सतही जल, झीलों, नदियों और अपशिष्ट जल जैसे विभिन्न जल स्रोतों को शामिल करते हुए** जल प्रबंधन बोर्डों की ओर शासन के प्रतिमानों को बदलने की आवश्यकता है।
- शासन की शुरुआत नदी बेसिन संस्थानों से होनी चाहिए, जो परिदृश्य संरक्षण, वनों की कटाई, रेत खनन, प्रदूषण और कृषि प्रथाओं की देखरेख करते हैं।
- परिदृश्य में अपरिवर्तनीय परिवर्तनों को रोकना महत्वपूर्ण है जो नदी के प्रवाह को बाधित कर सकते हैं या भारी प्रदूषण का कारण बन सकते हैं।
- शहरी स्तर पर, संस्थानों को **पानी के सभी रूपों को पारिस्थितिक संसाधनों के रूप में समझना और प्रबंधित करना चाहिए।**
- बेंगलुरु और अन्य शहरी क्षेत्रों के सबक भारत में समग्र जल प्रबंधन दृष्टिकोण के महत्व पर प्रकाश डालते हैं।

कई लोग जिस विडंबना की ओर इशारा कर रहे हैं वह यह है कि ये वही शहर हैं जो बारिश के दौरान जलमग्न हो जाते हैं। हम कहां गलत हो रहे हैं?

- **एस. विश्वनाथ:** बेंगलुरु में जल प्रबंधन संस्थान स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, जिससे मौन शासन होता है।
- बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड पाइप जल आपूर्ति का प्रबंधन करता है।
- बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके , कर्नाटक टैंक संरक्षण और विकास प्राधिकरण के साथ, सतही जल निकायों की देखरेख करता है।
- भूजल प्रबंधन भूजल प्राधिकरण के अंतर्गत आता है।
- अपशिष्ट जल प्रबंधन में स्पष्ट स्वामित्व का अभाव है, जो नालों या झीलों में प्रवाहित होने पर बाढ़ में योगदान देता है।
- जल प्रबंधन के प्रति खंडित दृष्टिकोण परिदृश्य की खराब योजना और डिजाइन का परिणाम है
- कंक्रीटीकरण और ख़राब सड़क निर्माण महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
- **सड़कें बांधों और बाधाओं के रूप में कार्य करते हुए, जल विज्ञान के प्रवाह में बाधा डालती हैं।**
- इससे पानी की प्राकृतिक गति बाधित होती है, जिससे जल निकासी की समस्याएँ पैदा होती हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।
- अपर्याप्त सड़क डिज़ाइन बेंगलुरु जैसे शहरी क्षेत्रों में पानी से संबंधित समस्याओं को बढ़ा देता है।
- **सड़क निर्माण और कंक्रीटीकरण प्रथाओं को संबोधित करना** जल प्रबंधन में सुधार और बाढ़ के खतरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **टीवी रामचन्द्र: अनेक एजेंसियों के कारण खंडित शासन एक प्राथमिक मुद्दा है।**
- कई राज्य एजेंसियों में सक्षम नेतृत्व की कमी है, जिससे प्रभावी जल प्रबंधन में बाधा आ रही है।

PatriotICIAS

- **वर्षा जल संचयन एक समाधान प्रस्तुत करता है** , क्योंकि बेंगलुरु में सालाना 700-850 मिमी वर्षा होती है, जिससे पर्याप्त जल संसाधन उपलब्ध होते हैं।
- **बेंगलुरु की** लगभग 70% आबादी को पानी की जरूरत है वर्षा जल संचयन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।
- छत प्रणालियों के माध्यम से और वर्षा जल को बनाए रखने के लिए झीलों को पुनर्जीवित करके वर्षा जल का संचयन किया जा सकता है।
- झीलों के बीच अंतर्संबंध को फिर से स्थापित करने से पानी को स्वतंत्र रूप से बहने की अनुमति देकर बाढ़ को रोका जा सकता है।
- बाढ़ के प्रति सरकारी प्रतिक्रियाओं में अक्सर तूफानी जल नालों को फिर से तैयार करना शामिल होता है, लेकिन यह जलविज्ञान सिद्धांतों के विपरीत, नालों को कंक्रीटिंग और संकीर्ण करके मुद्दों को बढ़ा सकता है।

बेंगलुरु की स्थिति को लेकर दो तर्क हैं. एक तो आजीविका के नए केंद्र बनाकर शहर को उजाड़ना है। दूसरा बेहतर जल बुनियादी ढांचा तैयार करना है । आप इस पर कहां खड़े हैं?

- **एस विश्वनाथ:** 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद बेंगलुरु में शहरीकरण अपरिहार्य हो गया।
- बेंगलुरु ने अपनी जलवायु और आर्थिक अवसरों के कारण लोगों को आकर्षित किया।
- उचित योजना और बुनियादी ढांचे का विकास भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को समायोजित कर सकता है।
- शहर की विफलता, विशेष रूप से बाहरी इलाकों में, **विकास का अनुमान लगाने और उसका प्रबंधन करने में असमर्थता में निहित है।**
- आशावाद **बढ़ती आबादी का समर्थन करने के लिए झीलों, जलभृतों, वर्षा जल और अपशिष्ट जल उपचार सहित प्रभावी संसाधन प्रबंधन में निहित है** ।
- **टीवी रामचंद्र:** बेंगलुरु ने अपनी वहन क्षमता को पार कर लिया है, जो **पांच दशकों में कंक्रीट क्षेत्र में 1055% की वृद्धि, वनस्पति में 18% की हानि और जल निकायों में 79% की हानि से स्पष्ट है।**
- प्रभावी प्रबंधन की कमी के कारण यह स्थिति पैदा हुई है, जो एक महत्वपूर्ण चूक को उजागर करता है।
- **बेंगलुरु पर दबाव कम करने के समाधान के रूप में क्लस्टर-आधारित विकास प्रस्तावित है।**
- **लक्ष्य उद्योगों को तालुक मुख्यालयों में स्थानांतरित करके पलायन को रोकना है।** अन्य क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना।
- बेंगलुरु में सभी संसाधनों और अवसरों को केंद्रित करने से यह तेजी से रहने योग्य और अस्थिर हो गया है।

ज्यादातर फोकस शहरी केंद्रों पर है । नदी घाटियों के किनारे के क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है । क्या अब समय नहीं आ गया है कि सरकारें शहरों से दूर पारिस्थितिकी तंत्र का सम्मान करना शुरू करें जो अंततः इन शहरों को फलने-फूलने में मदद करता है?

- **एस. विश्वनाथ:** शासन ढांचे को नदी बेसिन पैमाने पर पर्यावरण की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

PatriotIAS

- **गाडगिल और कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट** जैसी रिपोर्टों का उद्देश्य यही था, लेकिन विभिन्न कारणों से अस्वीकृति का सामना करना पड़ा।
- कावेरी नदी के स्वास्थ्य पर निर्भर है ; इसके खराब होने से शहर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- **नागरिकों को कावेरी की प्राचीन स्थिति और पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा को प्राथमिकता देनी चाहिए।**
- पर्यावरणीय विनाश पानी की कमी, पाइप से पानी या टैंकर की कीमतों जैसी बढ़ती चिंताओं का मूल कारण है।
- प्रभावी संस्थानों की स्थापना करना और विशेषज्ञता प्राप्त करना सिस्टम और संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

जब भी कोई संकट आता है, हम अचानक प्रतिक्रियाएँ देखते हैं । हमारे शहरों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकारों को क्या करना चाहिए?

- **एस. विश्वनाथ:** संस्थानों को मौजूदा समस्या की व्यापक समझ होनी चाहिए।
- उन्हें **मुद्दे को सटीक रूप से परिभाषित करने में सक्षम होना चाहिए।**
- **दीर्घकालिक और टिकाऊ समाधान** तैयार करने पर होना चाहिए ।
- इन समाधानों को अस्थायी समाधान प्रदान करने के बजाय समस्या के मूल कारणों का समाधान करना चाहिए।
- **संस्थानों में अनुकूलन और विकास करने की क्षमता होनी चाहिए** बदलती परिस्थितियों और नई चुनौतियों के जवाब में।
- **टीवी रामचन्द्र:** **सिस्टम के भीतर जवाबदेही जरूरी है** यह सुनिश्चित करने के लिए कि संस्थाएँ प्रभावी ढंग से संचालित हों।
- **भ्रष्टाचार नियोजन प्रयासों को कमजोर करता है और संसाधनों के अकुशल उपयोग की ओर ले जाता है।**
- परियोजनाओं को वास्तविक आवश्यकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए न कि केवल धन के उपयोग के लिए।
- **शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सक्षम और नैतिक नेताओं का चुनाव महत्वपूर्ण है।**
- भ्रष्टाचार को संबोधित करना और जवाबदेही को बढ़ावा देना योजना और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता में सुधार के प्रमुख पहलू हैं।

PatriotiCAS

प्रश्न 1: संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट प्राप्त किए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकती है?
(ए) आरोपी को गिरफ्तार करें
(बी) आरोपी के परिसर की तलाशी लें
(सी) अदालत में आरोप पत्र दाखिल करें
(डी) अपराध स्थल से साक्ष्य जब्त करना

प्रश्न 2: निम्नलिखित में से किस अपराध को गैर-संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किए जाने की सबसे अधिक संभावना है?
(एक डकैती
(बी) हमले से मामूली चोटें आईं
(सी) अपहरण
(डी) दहेज हत्या

प्रश्न 3: उस प्राथमिक कानूनी दस्तावेज़ की पहचान करें जो भारत में संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों को परिभाषित और वर्गीकृत करता है:
(ए) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी)
(बी) भारत का संविधान
(सी) सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी)
(डी) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)

प्रश्न 4: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसके विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है:
(ए) पूर्वव्यापी कानून
(बी) दोहरा ख़तरा
(सी) आत्म-दोषारोपण
(D। उपरोक्त सभी

प्रश्न 5: किसी आरोपी व्यक्ति के अधिकारों पर चर्चा करते समय अक्सर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अनुच्छेद 20 के साथ माना जाता है?
(ए) अनुच्छेद 14
(बी) अनुच्छेद 19
(सी) अनुच्छेद 21
(डी) अनुच्छेद 22

प्रश्न 6: वीवीपीएटी प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(ए) एक ही व्यक्ति द्वारा एकाधिक मतदान को रोकने के लिए
(बी) वोटों की गिनती की गति को बढ़ाना
(सी) मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देना कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है
(डी) चुनाव में डाले गए सभी वोटों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रदान करना

प्रश्न 7: वीवीपीएटी को पहली बार भारत में निम्नलिखित में से किसके दौरान पेश किया गया था?
(ए) 2014 लोकसभा चुनाव
(बी) 2013 में नागालैंड में एक उपचुनाव
(सी) 2009 लोकसभा चुनाव
(डी) 2019 लोकसभा चुनाव

प्रश्न 8: वीवीपैट पर्ची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?
(ए) वीवीपैट पर्ची में मतदाता का नाम होता है।
(बी) वीवीपैट पर्ची कुछ सेकंड के लिए मतदाता को दिखाई देती है।
(सी) वीवीपैट पर्ची को मतदाता अपने वोट के प्रमाण के रूप में घर ले जा सकता है।
(डी) वीवीपैट पर्ची का उपयोग चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती देने के लिए किया जा सकता है।

PatrioticIAS

प्रश्न:1 संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट प्राप्त किए निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई कर सकती है? (ए) आरोपी को गिरफ्तार करें (बी) आरोपी के परिसर की तलाशी लें (सी) अदालत में आरोप पत्र दाखिल करें (डी) अपराध स्थल से साक्ष्य जब्त करना	उत्तर : (ए) आरोपी को गिरफ्तार करें स्पष्टीकरण: अधिक गंभीर प्रकृति के माने जाने वाले संज्ञेय अपराधों के मामलों में पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है।
प्रश्न 2: निम्नलिखित अपराधों पर विचार करें : (1) डकैती (2) हमले से मामूली चोटें आईं (3) अपहरण (4) दहेज हत्या उपरोक्त में से कितने अपराधों को गैर-संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत किये जाने की सबसे अधिक संभावना है/हैं? (ए) केवल एक (बी) केवल दो (सी) केवल तीन (डी) सभी चार	उत्तर: (ए) हमले से मामूली चोटें आईं स्पष्टीकरण: गैर-संज्ञेय अपराध आम तौर पर कम गंभीर होते हैं। अन्य विकल्पों की तुलना में साधारण हमले के इस श्रेणी में आने की अधिक संभावना है।
प्रश्न:3 एक व्यक्ति चोरी की घटना की रिपोर्ट पुलिस को देता है। पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर देती है. यह परिदृश्य सबसे अधिक संभावित है यदि चोरी को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: (ए) संज्ञेय अपराध (बी) गैर-संज्ञेय अपराध (सी) समझौता योग्य अपराध (डी) जमानती अपराध	उत्तर: (बी) गैर-संज्ञेय अपराध स्पष्टीकरण: गैर-संज्ञेय मामलों में, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती है और जांच शुरू करने से पहले अदालत से अनुमति लेनी होगी।
प्रश्न:4 उस प्राथमिक कानूनी दस्तावेज़ की पहचान करें जो भारत में संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराधों को परिभाषित और वर्गीकृत करता है: (ए) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) (बी) भारत का संविधान (सी) सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) (डी) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी)	उत्तर: (डी) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) स्पष्टीकरण: सीआरपीसी आपराधिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाला मुख्य कानून है और विभिन्न प्रकार के अपराधों से निपटने में पुलिस और अदालतों की शक्तियों की रूपरेखा तैयार करता है।
प्रश्न 5: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किसके विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी देता है: (ए) पूर्वव्यापी कानून (बी) दोहरा ख़तरा (सी) आत्म-दोषारोपण (D। उपरोक्त सभी	उत्तर: (डी) उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 20 सभी तीन महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है।

PatriotiAS

प्रश्न:6 निम्नलिखित परिदृश्य पर विचार करें: एक कानून किसी विशिष्ट कार्य को अपराध घोषित करने के लिए अधिनियमित किया जाता है। कानून बनने से पहले उस कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और दंडित किया जाता है। यह स्थिति अनुच्छेद 20 के किस प्रावधान का उल्लंघन करती है? (ए) अनुचित खोज और जब्ती के खिलाफ सुरक्षा (बी) दोहरे खतरे से सुरक्षा (सी) पूर्वव्यापी कानूनों के खिलाफ संरक्षण (डी) मनमानी हिरासत के खिलाफ सुरक्षा	उत्तर: (सी) कार्योत्तर कानूनों के विरुद्ध संरक्षण स्पष्टीकरण: पूर्वव्यापी कानून पहले की कानूनी कार्रवाइयों को दंडनीय बनाते हैं, जो अनुच्छेद 20 द्वारा निषिद्ध है।
प्रश्न: 7 'निमो टेनेतुर प्रोडेरे आरोप लगाना सीप्सम 'सिद्धांत, जो अनुच्छेद 20 के भीतर एक प्रमुख सुरक्षा को रेखांकित करता है, का अनुवाद इस प्रकार है: (ए) किसी को भी एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। (बी) कानून के समक्ष समानता। (सी) कोई भी अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं है। (डी) निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।	उत्तर: (सी) कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं है। स्पष्टीकरण: यह लैटिन कहावत आत्म-अपराध के विरुद्ध अधिकार को संदर्भित करती है।
प्रश्न: 8 किसी आरोपी व्यक्ति के अधिकारों पर चर्चा करते समय अक्सर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को अनुच्छेद 20 के साथ माना जाता है? (ए) अनुच्छेद 14 (बी) अनुच्छेद 19 (सी) अनुच्छेद 21 (डी) अनुच्छेद 22	उत्तर: (सी) अनुच्छेद 21 स्पष्टीकरण: अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) और अनुच्छेद 20 सामूहिक रूप से अपराधों के आरोपी व्यक्तियों के लिए सुरक्षा की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं।
प्रश्न:9 वीवीपैट प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? (ए) एक ही व्यक्ति द्वारा एकाधिक मतदान को रोकने के लिए (बी) वोटों की गिनती की गति को बढ़ाना (सी) मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देना कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है (डी) चुनाव में डाले गए सभी वोटों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रदान करना	उत्तर: (सी) मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देने के लिए कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है स्पष्टीकरण: वीवीपीएटी का मुख्य कार्य एक पेपर ट्रेल प्रदान करना है, जिससे मतदाताओं को यह पुष्टि करने की अनुमति मिलती है कि ईवीएम मशीन पर उनका वोट उनके इरादे के अनुसार दर्ज किया गया था।
प्रश्न: 10 वीवीपीएटी को पहली बार भारत में निम्नलिखित में से किसके दौरान पेश किया गया था? (ए) 2014 लोकसभा चुनाव (बी) 2013 में नागालैंड में एक उपचुनाव (सी) 2009 लोकसभा चुनाव (डी) 2019 लोकसभा चुनाव	उत्तर: (बी) 2013 में नागालैंड में एक उपचुनाव स्पष्टीकरण: व्यापक कार्यान्वयन से पहले वीवीपीएटी को शुरुआत में 2013 के उपचुनाव में सीमित क्षमता में संचालित किया गया था।
प्रश्न:11 वीवीपैट पर्ची के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? (ए) वीवीपैट पर्ची में मतदाता का नाम होता है। (बी) वीवीपैट पर्ची कुछ सेकंड के लिए मतदाता को दिखाई देती है।	उत्तर: (बी) वीवीपैट पर्ची कुछ सेकंड के लिए मतदाता को दिखाई देती है। स्पष्टीकरण: पर्ची उम्मीदवार का नाम और प्रतीक दिखाती है, फिर एक सीलबंद बॉक्स में डाल दी जाती

Patriotic IAS

(सी) वीवीपैट पर्ची को मतदाता अपने वोट के प्रमाण के रूप में घर ले जा सकता है। (डी) वीवीपैट पर्ची का उपयोग चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती देने के लिए किया जा सकता है।	है, गोपनीयता सुनिश्चित करती है लेकिन मतदाता के लिए सत्यापन प्रदान करती है।
प्रश्न: 12 चुनावों के संदर्भ में, वीवीपीएटी निम्नलिखित चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है: (ए) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेरफेर (बी) मतदाता को डराना (सी) फर्जी मतदान (डी) मतपत्र गिनती में अक्षमताएं	उत्तर: (ए) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में हेरफेर स्पष्टीकरण: वीवीपीएटी ईवीएम परिणामों को क्रॉस-चेक करने के लिए एक भौतिक पेपर ट्रेल प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य हेरफेर की संभावना को कम करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया में विश्वास बढ़ाना है।

PatrioticIAS